भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 119
जिसका उत्तर सोमवार, 1 दिसम्बर, 2025/10 अग्रहायण, 1947 (शक) को दिया गया

किसान क्रेडिट कार्ड

†119. श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबालकर:
श्री बजरंग मनोहर सोनवणे:
श्री संजय हरिभाऊ जाधव:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले पांच वर्षों में महाराष्ट्र में, विशेष रूप से धाराशिव आकांक्षी जिले में किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत खेत के आकार की श्रेणी विभाजन के आधार पर खोले गए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) खातों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त वर्षों में महाराष्ट्र में, विशेष रूप से धाराशिव लोक सभा संसदीय क्षेत्र में इस योजना के अंतर्गत आवंटित, स्वीकृत एवं उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने महाराष्ट्र में केसीसी नामांकन को बढ़ावा देने के लिए महिला किसानों एवं आदिवासी समुदायों हेतु कोई विशेष अभियान आरंभ किया है;

(घ) यदि हां, तो अब तक प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(ड.) क्या सरकार के पास उक्त राज्य में, विशेष रूप से धाराशिव लोक सभा संसदीय क्षेत्र के लिए, केसीसी धारकों को प्रदान की गई राज्य स्तरीय टॉप-अप या ब्याज राहत योजना सहित अतिरिक्त प्रोत्साहनों का कोई आंकड़ा उपलब्ध है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) और (ख): जैसा कि राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी), महाराष्ट्र द्वारा सूचित किया गया है, महाराष्ट्र राज्य और धाराशिव जिले में पिछले पांच वर्षों के दौरान केसीसी खातों की संख्या और संवितरित राशि का विवरण **अनुबंध** में संलग्न है। खेत के आकार के आधार पर खोले गए केसीसी खातों का आंकड़ा नहीं रखा जाता है।

(ग) और (घ): अधिकतम किसानों को केसीसी ऋण का लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से, फरवरी 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत केसीसी संतृप्ति अभियान शुरू किया गया था, जिसके अंतर्गत 2.5 करोड़ किसानों को केसीसी के अधीन कवर किया गया और 2 लाख करोड़ रुपये का ऋण दिया गया। 14 नवंबर 2025 तक की स्थिति के अनुसार, केसीसी संतृप्ति अभियान के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य में 83 लाख केसीसी खाते खोले/नवीनीकृत किए गए। इसके अतिरिक्त, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन (एएचडीएफ) गतिविधियों में

कार्यरत सभी पात्र किसानों तक किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के लाभों का विस्तार करने के लिए, सरकार ने दिनांक 15.11.2021 से 31.03.2025 तक राष्ट्रव्यापी जिला स्तरीय साप्ताहिक शिविरों का आयोजन किया, जिसके परिणामस्वरूप महाराष्ट्र में 75,747 एएचडीएफ केसीसी खाते खोले गए। इसके अलावा, केसीसी नामांकन को बढ़ावा देने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा (वीबीएसवाई) और विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) शिविरों का आयोजन किया गया।

(ङ): संशोधित ब्याज अनुदान योजना (एमआईएसएस) के अंतर्गत, भारत सरकार किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से 7% प्रति वर्ष की रियायती दर पर 3 लाख रुपये तक (संबद्ध गतिविधियों के मामले में 2 लाख रुपये तक) अल्पकालिक कार्यशील पूंजी ऋण देने के लिए बैंकों को 1.5% की ब्याज अनुदान (आईएस) प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, समय पर पुनर्भुगतान करने पर किसानों को 3% का त्वरित पुनर्भुगतान प्रोत्साहन (पीआरआई) दिया जाता है, जिससे किसानों के लिए ब्याज दर प्रभावी रूप से 4% तक कम हो जाती है। इसके अलावा, महाराष्ट्र सरकार द्वारा अतिरिक्त ब्याज अनुदान/पीआरआई भी प्रदान किया जाता है।

केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की गई संशोधित ब्याज सबवेंशन योजना (एमआईएसएस) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान महाराष्ट्र राज्य सहित पूरे देश में 17,811.72 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई।

*****

अनुबंध

'किसान क्रेडिट कार्ड' के संबंध में दिनांक 1.12.2025 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 119 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

पिछले पांच वर्षों के दौरान महाराष्ट्र और धाराशिव जिले में खोले गए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) खातों और संवितरित राशि का विवरण:

(संख्या लाख में और राशि करोड़ में)

क्र.सं.	**वित्तीय वर्ष**	**महाराष्ट्र**		**धाराशिव जिला**	
		खोले गए केसीसी की संख्या	**संवितरित राशि**	**खोले गए केसीसी की संख्या**	**संवितरित राशि**
1	**2021-22**	54.06	48999	1.45	1228
2	**2022-23**	62.21	62769	1.66	1561
3	**2023-24**	56.59	60195	1.46	1430
4	**2024-25**	54.88	66485	1.40	1504
5	**2025-26****	35.93	40083	0.96	959

*** दिनांक 30.09.2025 तक संवितरण*

स्रोत: एसएलबीसी, महाराष्ट्र

*****